

**Title:** Introduction of the Representation of the People (Amendment) Bill,1998 (Insertion of new section 8B)

15.53 hrs.

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

-----

---

\* Published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 2,dt.2.6.98